

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com

फोन न० (0135) 2713552

संख्या-2170/XXV-12(11)/2021 देहरादून : दिनांक 22 फरवरी, 2022

सेवा में,

Shri Deep Chandra Uprety,
Vill. Haripur Motiya,
P.O. Manpur West
Haldwani Nainital. 263139,
Mb-8954290741, 8433033834

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 18.02.2022 इस कार्यालय में दिनांक 21.02.2022 प्राप्त हुआ है, मैं मांगी गयी वांछित कार्यालय में धारित सूचना 01(एक) पृष्ठ में संलग्न कर प्रेषित है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।
संलग्नक-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता-

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़,
देहरादून- 248001,

भवदीय,

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

21.2.2022

from
Deep Chandra Uprety
Vill Haripur Motiyg
P.O. Manpur West
Haldwani Nainital
263139

(M) 8954290741
8433033834

To

The Chief Electoral Officer
Uttarakhand.
Dehradun 248001


Vishwakarma Bhawan
1st floor Secretariat Campus
04 Subhash Road Dehradun 248001

Sub: Information sought under RTI Act.

1) Why NOTA (none of the above)
is not shown in form F-A of
Election Commission?

नोटा को भी वोट दिया जा सकता है
यह बात चुनाव आयोग के फॉर्म F-A
में क्यों नहीं दिखाई जाती है?

अनुराग
18/2/22


(Deep Chandra Uprety)

हिनॉ: 1) ID No 56F 125012

-15-

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 576/3/2017/SDR/

Dated: 18-10-2017

To

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories.

Sub: List of contesting candidates in Form 7A/7B- displaying therein photographs of candidates against their names.

Sir/Madam,

Reference is invited to the Commission's letter No. 576/3/2015, dated 16th March, 2015, regarding directions for printing photographs of candidates also in the ballot papers.

2. The Commission has now directed that, henceforth, photographs of candidates shall also be printed against their names in the list of contesting candidates in Form-7A or 7B, as the case may be. Thus, the copy of the said forms to be supplied to each contesting candidate should contain the photographs of the candidates. The same format with photographs of candidates shall be used for publishing of the Form in the Gazette as well as for displaying copies thereof in the polling stations.

3. A clarification has also been sought as to whether 'NOTA' is to be printed in Form 7A and 7B. It is clarified that since Form 7A/7B denotes list of contesting candidates, 'NOTA' is not to be printed therein.

4. This direction may be conveyed immediately to all Returning Officers including the Returning Officers for Rajya Sabha election and Legislative Council elections.

Yours faithfully,



(K.F.WILFRED)

SR. PRINCIPAL SECRETARY

संलग्नक-10 अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र
कार्यालय का नाम-जिला निर्वाचन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर।

e-mail : dmcumdeousn@gmail.com

दूरभाष : 05944-246787

फैक्स : 05944-246787

पत्रांक : 3236/29-8(सू0अधि0)/2021-22
सेवा में,

दिनांक : 14 फरवरी, 2022

श्री राकेश कुमार,
खसरा नं0 534 डा0 अम्बेडकर बस्ती
ग्राम व पोस्ट अबुपुर
जनपद-गाजियाबाद उ0प्र0-201206
मो0नं0-9997411085

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

कृपया अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-2027/XXV-12(11)2018 दिनांक 13 फरवरी, 2022 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 08-02-2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 13-02-2022 को प्राप्त हुआ है, के अनुसार संलग्न अनुरोध पत्र में वांछित सूचना :-

क्र0 सं0	बिन्दु	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या-51/8/VVPAT-INST/2019-EMPS दिनांक 15 अप्रैल, 2019 जो देश के समस्त राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और केन्द्र शासित प्रदेशों को संबोधित है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक-08 अप्रैल, 2019 के अनुपालन में लोक सभा चुनाव 2019 के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 05 पोलिंग स्टेशन का रेन्डम चुनाव करके उत्तराखण्ड में कुल कितने पोलिंग स्टेशन के कुल कितने बूथों का ई0वी0एम0 में संरक्षित वोटों का मिलान वी0वी0पैट की पर्चियों से किया गया है। लोक सभा चुनाव 2019 की मतगणना की सूचना विधान सभावार एवं जनपदवार उपलब्ध करायी जाये।	संलग्न प्रेषित है।
2	लोक सभा चुनाव 2019 मतगणना के बाद भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या-51/8/VVPAT-INST/2019-EMPS दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के पैरा संख्या 13 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त रिटर्निंग ऑफिसरों ने ई0वी0एम0 में संरक्षित वोटों का मिलान वी0वी0 पैट में जमा पर्चियों से मिलान करने की जो सूचना एजेक्चर A पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी गयी थी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना समाप्ति के 07 दिन के अन्दर एजेक्चर A से संबंधित सूचना जो भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गयी थी उसकी प्रमाणित छाया प्रतियां(समस्त जिलों की समस्त विधान सभाओं की) उपलब्ध करायी जायें।	बिन्दु-1 में समाहित है।
3	भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या-51/8/VVPAT-INST/2019-EMPS दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के अनुपालन में 2019 लोक सभा चुनाव में उत्तराखण्ड राज्य के कुल कितने पोलिंग स्टेशनों के कितने बूथों की कितनी ई0वी0एम0 मशीनों का मिलान वी0वी0पैट की पर्चियों से किया गया था विधान सभावार बतायी जायें।	बिन्दु-1 में समाहित है।

उक्त चाही गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विभागीय अपीलिय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न यथावी

विभागीय अपीलिय अधिकारी का पता :-

डॉ0एल0एन0मिश्र
अपर जिलाधिकारी(वि./रा.)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

प्रतिलिपि:-

अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0एस0 अधिकारी)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।